न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।

जिला–सुपौल (बिहार)

अग्रिम जमानत याचिका संख्या–829/2026

सुपौल नदी थाना कांड संख्या–39/2026, जिला–सुपौल।

1. सबिता मंडल, उम्र करीब–33 वर्ष, पति–रमेश मंडल,

2. उमेश मंडल, उम्र करीब–42 वर्ष, पिता–स्वर्गीय महेन्द्र मंडल,

3. बिनायक मंडल, उम्र करीब–42 वर्ष, पिता–स्वर्गीय मोजे मंडल

4. रंजना देवी उर्फ सीता देवी, उम्र करीब–40 वर्ष, पति–उमेश मंडल, सभी साकिनान–मरौना कोनी, वार्ड नं0–11, थाना–सुपौल नदी थाना, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्तगण।

बनाम्

बिहार राज्य।

उपस्थितः

याचिकाकर्त्ता की ओर से– श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर (विद्वान अधिवक्ता)
विपक्षी की ओर से– श्री राजेश कुमार सिंह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

10.06.2026 आवेदक अभियुक्त **1. सबिता मंडल 2. उमेश मंडल 3. बिनायक मंडल 4. रंजना देवी उर्फ सीता देवी** की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक अभियुक्तगण सुपौल नदी थाना कांड संख्या–39/2026, अंतर्गत धारा–**115(2), 126(2), 303(2), 117(2), 351(2), 351(3), 3(5)** भारतीय न्याय संहिता की नामजद अभियुक्तगण हैं। अग्रिम जमानत आवेदन की एक प्रति पूर्व में ही विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है।

अग्रिम जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि, सूचक संतोष कुमार यादव के घर से सटे पश्चिम बगल खाता संख्या–36, खेसरा–4991, रकवा–10 डिसमील है। उक्त जमीन में आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य सह अभियुक्तगण महेश मंडल, अमित कुमार मंडल, ललिता देवी, अमेरिका देवी, रानी देवी, फूलो देवी एवं 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जबरन शौचालय की छत बढ़ाकर दे रहे थे, मना करने पर उक्त लोग काफी आक्रोश में आ गये और उन्हें चारों ओर से घेर लिये तथा अभियुक्त उमेश मंडल लोहा के रॉड से जान मारने की नीयत से उनके सर पर मारा, लेकिन ईश्वर की दया से वे अपना सर छिपा लिये जो रॉड उनके बॉया कंधा पर लगा,

साथ ही उनके कमर पर भी दूसरी बार मार दिये। उनको काफी चोट लगी जिस वजह से वह जमीन पर गिर गये। उन्हें बचाने के लिए पिता राम विलास यादव आये तो उसे बिनायक मंडल दबिया से लगातार मारने लगे, जो दबिया उनके पिता को बांया आंख के उपर और नीचे लगा, जिस वजह से आंख के उपर और जख्मी हो गया। उन्हें और उनके पिता को बचाने के लिए छोटा पुत्र, भाई राहुल कुमार आये, उसे भी उमेश मंडल लोहा के रॉड से पैर पर मारा जिसमें काफी चोट है। उन तीनों को बचाने के लिए उनके भावो रीना कुमारी आई तो उसे उपरोक्त सभी लोग मिलकर लात–मुक्का एवं लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट किये, रीना कुमारी के गर्दन से एक भरी सोना का मंगलसूत्र कीमत करीब 150000/–रुपये का सबिता मंडल झपट ली। मारपीट के क्रम में रीना देवी की साड़ी पकड़कर उमेश मंडल फेंक दिये जिस वजह से वह बेनग्न हो गई। हो–हल्ला की आवाज सुनकर अगल–बगल के लोग दौड़कर आये और हम चारों की जान बचाये। घटना दिनांक 30.03.2026 दिन–सोमवार, समय करीब 12:30 बजे की है। सभी का ईलाज अनुमंडलीय अस्पताल, निर्मली में हुआ।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे लोग बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन लोगों के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वर्तमान मोकदमा सुपौल नदी थाना काण्ड संख्या–38/2026 का पलटा मोकदमा है जिसे वर्तमान वाद के अभियुक्ता सबिता मंडल के द्वारा सूचक एवं अन्य के विरुद्ध अंकित किया गया है, उक्त मोकदमा से बचने के लिए एवं प्रार्थी अभियुक्तगण पर नजायज दबाव देने के लिए वर्तमान झूठा मोकदमा अभियुक्तगण के विरुद्ध अंकित कराया गया है। प्राथमिकी में अंकित धारा–303(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है, उक्त आरोप मोकदमा को गंभीर एवं अजमानतीय बनाने हेतु लगाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण श्रीमान् के समक्ष वादा करता है कि धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करेंगे। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्तगण नजायज मजमा बनाकर सूचक संतोष कुमार यादव के खाता संख्या–36, खेसरा–4991, रकवा–10 डिसमील में जबरन शौचालय की छत बढ़ाकर दे रहे थे, उनके द्वारा मना करने पर उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के द्वारा सूचक एवं उनके पिता, भावो, पुत्र एवं भाई राहुल कुमार के साथ लोहा के रॉड एवं दबिया से मारपीट कर जख्मी कर दिये। इसलिए प्राथमिकी में आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण हैं तथा प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण अपने अन्य सहयोगियों के साथ नजायज मजमा बनाकर सूचक संतोष कुमार यादव के खाता संख्या–36, खेसरा–4991, रकवा–10 डिसमील में जबरन शौचालय की छत बढ़ाकर दे रहे थे, उनके द्वारा मना करने पर उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के द्वारा सूचक एवं उनके पिता, भावो, पुत्र एवं भाई राहुल कुमार के

साथ लोहा के रॉड एवं दबिया से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–5, 6 एवं 7 में क्रमशः साक्षीगण राम कुमार यादव, मीना देवी और अनीता देवी का बयान है, सभी ने गाली–गलौज करते हुये लप्पड़–थप्पड़, फाईट–मुक्का, लाठी, डंडा एवं लोहे की रॉड से मारपीट कर जख्मी करने का समर्थन किया है तथा आगे कथन किये हैं कि दोनों पक्षों के बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद चलता आ रहा है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–20 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घटनास्थल के निरीक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान, अब तक के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से प्राथमिकी में लगाये गये धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता का समावेस उचित प्रतीत नहीं होता है। कंडिका–24, 25, 26, 27 में जख्मियों का जख्म साधारण किस्म का है। कंडिका–28 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कंडिका–36, 37 में स्वतंत्र साक्षी मुकेश मंडल और सिमली देवी का बयान है, इन्होंने अपने–अपने बयान में विवाद का कारण पूर्व से दोनों पक्षों के बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद चलता आ रहा है। कंडिका–38 के अनुसार विवाद का कारण मुख्य रूप से जमीनी विवाद है। चूंकि प्राथमिकी में आरोपित धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है और काण्ड दैनिकी में धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता के संबंध में साक्ष्य का अभाव पाया गया है।

अतः वाद की तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर और इस प्रक्रम पर, आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत वास्ते उचित मामला प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा आवेदक अभियुक्त **1. सबिता मंडल 2. उमेश मंडल 3. बिनायक मंडल 4. रंजना देवी उर्फ सीता देवी** का अग्रिम जमानत आवेदन **निस्तारित** किया जाता है। आवेदक अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह 30 दिनों के अन्दर विचारण न्यायालय में आत्म–सर्मपण करके नियमित जमानत की याचना करेंगे और विचारण न्यायालय उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार नियमित जमानत आवेदन निष्पादित करेंगे।

लेखापित

S/d

(कुमार कौशल किशोर)
अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ,
सुपौल।